प्रावधायी निधि विभाग योजना

प्रश्न 1 प्रावधायी निधि क्या है ?

उत्तर प्रावधायी निधि से तात्पर्य एक ऐसी निधि से है जिसमें विभिन्न अभिदाताओं द्वारा उनके व्यक्तिगत खातों के माध्यम से अंशदान राशि जमा कराई जाती है। इसमें जमाओं पर ब्याज एवं नियमों के अन्तर्गत अभिवृद्धि भी शामिल है।

प्रश्न 2 सामान्य प्रावधायी निधि योजना क्या है ?

उत्तर कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित अनिवार्य बचत योजना है, जो सेवा निवृति पर उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा मृत्यु की अवस्था में उनके आश्रितों को आर्थिक सम्बल प्रदान करती है। इस योजना में सेवा निवृति/मृत्यु पर अभिदाता/मनोनीत को मय ब्याज समस्त राषि का भुगतान कर दिया जात है।

प्रश्न 3 योजना किन नियमों के अन्तर्गत लागू है ?

उत्तर योजना राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधयी निधि नियम, 1997 के अन्तर्गत लागू है। पूर्व में यह योजना सामान्य प्रावधायी निधि (राज. सेवाएँ) नियम, 1954 के अन्तर्गत लागू थी।

प्रश्न 4 योजना कब से एवं किन पर अनिवार्य/ऐच्छिक रूप से लागू है ?

उत्तर योजना निम्न प्रकार से लागू हूई :

(1) दिनांक 1.4.1954 से समस्त राज्य कर्मचारियों पर ऐच्छिक रूप से एवं राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य घोषित कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू हुई।

(2) दिनांक 1.5.1980 से समस्त राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू हुई।

प्रश्न 5 प्रावधायी निधि योजना क्या दिनांक 1.1.2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं है ?

उत्तर प्रावधायी निधि योजना दिनांक 1.4.2004 एवम् इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं है। इन कर्मचारियों पर नवीन पेन्शन योजना (एन पी एस) लागू है। ऐसे कर्मचारियों की प्रावधायी निधि की कटौती नहीं की जाती है।

(राज्यादेष क्रमांक प–2(1) वित्त(नियम) 96/पार्ट–11 दिनांक 23.8.2006

प्रश्न 6 क्या निर्धारित खण्ड दर से अधिक कटौती करवाई जा सकती है ?

उत्तर यदि अंशदाता चाहे तो अनिवार्य प्रावधायी निधि की निर्धारित खण्ड दर से अधिक कटौती करवा सकता है, परन्तु यह कटौती वित्तीय वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती। (नियम 11 टिप्पणी "ब")

प्रश्न 7 क्या इस योजना में जमा करवाई जाने वाली राशि पर धारा 88, आयकर छूट का प्रावधान है ?

उत्तर हाँ, प्रावधायी निधि खाते में प्रति वर्ष जमा करवाई जाने वाली राशि पर धारा 88, आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत छूट का प्रावधान है।

प्रश्न 8 योजना के अन्तर्गत भुगतान किन–किन परिस्थितियों में देय है ?

उत्तर योजना में जमा राशि कर्मचारी को सेवा निवृति/सेवा त्यागने पर/अनिवार्य सेवा निवृति/ सेवा से निष्कासन पर देय है। किन्तु अंशदाना सेवा निवृति के पश्चात् अपने खाते में सेवा निवृति परिलाभ जमा करवाते हुए भी प्रचलित ब्याज दर से आधा प्रतिषत अधिक ब्याज दर पर खाते को किसी भी अवधि तक चालू रख सकता है।

(नोटिफिकेशन दिनांक 30.3.1999)

प्रश्न 9 प्रावधायी निधि में जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज दर क्या है ?

उत्तर राज्य सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर वर्ष 2019–20 में (1.4.2019 से 30.6.2019) 8 प्रतिशत एवं (1.7.2019 से 31.12.2019) 7.9 प्रतिशत है।

प्रश्न 10प्रावधायी निधि में जमा राशि पर ब्याज दर की गणना कैसे की जाती है ?

उत्तर प्रत्येक अंशदाता के खाते में प्राप्त राषि पर प्रोग्रेसिव योग पर ब्याज वर्ष के अन्त में जोड़ा जाता है। ब्याज राशि को अगले वर्ष में मूल धन में जोड़ा जाता है। आगामी वर्ष में प्राप्त मूल धन पर एवं वर्ष के दौरान प्राप्त राशि पर पुनः ब्याज फलाया जाता है। इस तरह कर्मचारी को चक्रवृद्धि दर से ब्याज का लाभ प्राप्त होता है।

प्रश्न 11योजना के अन्तर्गत अस्थायी आहरण का कया प्रावधान है ?

उत्तर योजना के अन्तर्गत अंशदाता को उसके खाते में विभिन्न कारणों पर जमा राशि का 50 प्रतिशत अथवा तीन माह के मूल वेतन, जो भी कम हो, के बराबर राषि के अस्थाई आहरण की सुविधा प्रदान की गई है। राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 15 में उक्त कारणों का वर्णन है।

प्रश्न 12योजना के अन्तर्गत स्थाई आहरण के प्रावधान कया है ?

उत्तर योजना के अन्तर्गत अंशदाना की सेवा अवधि 15 वर्ष हो जाने अथवा 10 वर्ष शेष रह जाने पर, दोनों में से जो भी पूर्व हो, अंशदाता अपने खाते में कुल जमा राशि में से 75 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत आहरण विभिन कारणों हेतु प्राप्त कर सकता है। स्थाई आहरण के कारणों का उल्लेख राजस्थान राज्य कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम 1997 के नियम 17 व 18 में किया गया है।

प्रश्न 13अस्थाई आहरण में अंशदाता से लिये जाने वाले ब्याज की दर कया है ?

उत्तर अस्थाई आहरण पर अंशदाता से कोई ब्याज नहीं लिया जाता है, लेकिन आहरित राशि पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

प्रश्न 14 मनोनयन के प्रावधान क्या हैं ?

उत्तर सामान्य प्रावधायी निधि नियमों के अन्तर्गत परिवार के सदस्यों के पक्ष में मनोनयन किया जा सकता है। परिवार की परिभाषा में माता–पिता, पति, पत्नि, पुत्र–पुत्रियां, अविवाहित बहने, अव्यस्क भाई सम्मिलित हैं। परिवार नहीं होने की दशा में अन्य किसी व्यक्ति को मनोनित किया जाता है। (नियम–5)

प्रश्न 15 पासबुक सत्यापन किस प्रकार करवाया जाता है ?

उत्तर पासबुकों का संधारण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अन्त में इस विभाग के रिकॉर्ड से सत्यापन एवं प्रारम्भिक शेष, ब्याज एवं अन्तिम शेष के अंकन हेतु पास बुकें बीमा विभाग के जिला कार्यालय को भेजी जाती हैं। (नियम 3 व 4)

प्रश्न 16 क्या सेवा निवृति पश्चात् प्रावधायी निधी खाता खोला जा सकता है? यदि हाँ तो उसका क्या प्रावधान है एवं कितनी राशि के लिए खोला जा सकता है? इसमें ब्याज दर क्या है? क्या कोई लोकिन–इन पीरियड भी है ?

उत्तर राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत सेवा निवृति पश्चात् प्रावधायी निधि खाता खोला जा सकता है। सेवा निवृति के एक वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त सेवा निवृति परिलाभ राशि यथा– जीपीएफ, बीमा, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, कम्यूटेशन राशि एवं ग्रेच्यूटी राशि जमा की जाती है। इसमें प्रचलित दर से ब्याज देय है जो कि वर्तमान में 7.9 प्रतिशत है। इसमें जमा राशि के भुगतान पर कोई लोकिन–इन पीरियड नहीं है।

(परिपत्र 2/2010–11 दिनांक 21.4.2010 एवं नोटिफिकेशन दिनांक 11.10.2017)

प्रश्न 17 सेवा निवृति पश्चात् प्रावधायी निधि खाता किनके द्वारा खोला जा सकता है ?

उत्तर प्रत्येक अंशदाता जो कि प्रावधायी निधि योजना का सदस्य रहा है यथा– राज्य कर्मचारी, जिला परिषद, पंचायत समिति का कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी सम्मिलित हैं। तत्पश्चात् मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

(नोटिफिकेशन दिनांक 28.6.2012)